संख्या- 141/2025 / 593 /चार-2025-1883852

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय,
लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक 27 मार्च, 2025**

विषय- गोरखा युद्ध स्मारक, गोरखपुर के सौन्दर्यीकरण एवं संग्रहालय का निर्माण कराये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1155/उ0प्र0सं0नि0-5(159)/2024-25 दिनांक 11 फरवरी, 2025 तथा पत्र संख्या-925/उ0प्र0सं0नि0-5(159)/2024-25 दिनांक 21 दिसम्बर, 2024 के संदर्भ में अवगत कराना है कि शासन के पत्र संख्या- 3855/चार-2024-1883852 दिनांक 03 जनवरी, 2025 द्वारा गोरखा युद्ध स्मारक, गोरखपुर के सौन्दर्यीकरण एवं संग्रहालय का निर्माण कराये जाने हेतु सी0 एंड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।

2. गोरखा युद्ध स्मारक, गोरखपुर के सौन्दर्यीकरण एवं संग्रहालय का निर्माण कराये जाने हेतु नामित कार्यदायी संस्था सी0 एंड डी0 एस0, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), यूनिट-42, गोरखपुर द्वारा उपलब्ध कराये गये संशोधित प्रायोजना प्रस्ताव/ आगणन (प्रस्तावित लागत रू0 4707.69 लाख) को व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 10.03.2025 में प्रस्तुत किया गया, जिसमें सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा प्रायोजना को प्रस्तावित लागत रू0 4707.69 लाख के सापेक्ष रू0 4473.37 लाख की लागत पर अनुमोदित किया गया है। प्रायोजना की प्रस्तावित लागत के सापेक्ष आंकलित लागत का तुलनात्मक विवरण संलग्न है।

3. उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत परियोजना- गोरखा युद्ध स्मारक, गोरखपुर के सौन्दर्यीकरण एवं संग्रहालय का निर्माण कराये जाने हेतु **रू0 4473.37 लाख (रू0 चौवालीस करोड़ तिहत्तर लाख सैंतीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति** प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में **रू0 1565.68 लाख (रूपये पन्द्रह करोड़ पैंसठ लाख अड़सठ हजार मात्र)** अवमुक्त करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

4. शर्तें/ प्रतिबन्ध:-

(1) वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) वित्त विभाग के शासनादेश सं0-10/2021/बी-2-96/दरा-2021-10/99 दिनाक 22 मार्च, 2021 के अनुसार अनुमोदित प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त इसकी डी०पी०आर० गठित करने के उपरान्त ही तकनीकी स्वीकृति निर्गत की जाय। यदि इस प्रक्रिया में यह परिलक्षित होता है कि प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षित आगणन का गठन करते हुए 3 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना पर व्यय वित्त समिति द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

(3) वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जायेगा। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके। यदि निविदा के बाद कार्यों की लागत में कमी आती है तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जायेगा।

(4) दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के शासनादेश सं0-5/2021/फाइल नं0-65-2013/ 2/ 2019-2 दिनाक 15 जनवरी, 2021 के अनुपालन के क्रम में दिव्यांगजन हेतु भवनों को दिव्यांगजन हितैषी /बाधारहित बनाये जाने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्गत "Harmonized guidelines and standards for universal accessibility in india, 2021 दिये गये प्रावधानों के अनुसार उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय /कार्यदायी संस्था द्वारा भवन का निर्माण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) प्रायोजना प्रस्ताव / आगणन में आकस्मिक व्यय मद में प्रस्तावित धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में अनुमन्य मदों पर ही नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा।

(6) प्रायोजनान्तर्गत थर्ड पार्टी क्वालिटी कन्ट्रोल हेतु सिविल कार्यों की लागत पर 0.5 प्रतिशत की दर से धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। थर्डपार्टी क्वालिटी कन्ट्रोल हेतु बिड के माध्यम से प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रतिष्ठित एवं अनुभवी संस्थान का चयन किया जाय। चयनित संस्था द्वारा न्यूनतम 5 बार स्थलीय निरीक्षण कार्य किया जायेगा तथा प्रत्येक निरीक्षण कार्य करने के उपरान्त संस्कृति विभाग, उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था को स्थलीय रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी। उक्त रिपोर्ट से पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के उपरान्त ही उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय द्वारा क्वालिटी कन्ट्रोल हेतु चयनित संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

(7) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी०एस०टी० की धनराशि सम्मिलित की गयी है। प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों से संबंधित सामग्री की लागत प्रायोजना में उपयोग की गयी सामग्री (Consumed) यथा- सीमेन्ट, स्टील इत्यादि की मात्राओं का अनुपातिक मिलान करते हुए जी0एस0टी0 का भुगतान किया जायेगा।

(8) प्रायोजना में प्रस्तावित फर्नीचर (रू0 35.52 लाख) की धनराशि अनुमन्य की गयी है। प्रमुख सचिव, संस्कृति विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जायेगा। इस समिति द्वारा इन कार्यमदों की आवश्यकता एवं औचित्य के परीक्षणोपरान्त जो लागत न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) प्रायोजनान्तर्गत वाह्य विद्युत संयोजन हेतु रू0 20.00 लाख की धनराशि अनुमन्य की गयी है। उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय द्वारा विद्युत संयोजन हेतु विस्तृत आगणन यू०पी०पी०सी०एल० से प्राप्त कर वास्तविकता के आधार पर भुगतान किया जायेगा।

(10) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित डी०जी० सेट, वीडियो डाकूमेन्टरी, म्यूरल पेन्टिंग व लिफ्ट की लागत को इंडीकेटिव दरें मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस हेतु यथा सम्भव निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

पर लागत दरें प्राप्त करेंगी। उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय द्वारा निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर सुनिश्चित कराया जायेगा।

(11) दिव्यांगजन हितैषी बनाये जाने हेतु प्रभाग द्वारा 8 पैसेन्जर क्षमता की लिफ्ट हेतु लागत अनुमन्य कर दी गयी है।

(12) उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय/ कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त यथा आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(13) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था / उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय का होगा।

(14) प्रायोजना की लागत का अकिलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जायेगा।

(15) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए लागत का आंकलन किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना एवं अन्य उच्च विशिष्टियों का इस्तेमाल करना इत्यादि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(16) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय/ कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना /कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(17) उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। राजस्व पक्ष से सम्बन्धित व्यय का भुगतान पूंजीगत पक्ष से न करके राजस्व पक्ष के लेखाशीर्षक के संगत मद में उपलब्ध प्राविधान से सुनिश्चित किया जायेगा।

(18) उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/ स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(19) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/ मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/ मद हेतु किया जायेगा।

(20) प्रस्तावित धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों के अधीन एवं व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(21) उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय/ कार्यदायी संस्था द्वारा सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से संबंधित वित्तीय प्रबंधन के संबंध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या- 01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या- 02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19 मई, 2023 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(22) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या- 02/2017/बी-3-1034/दस-2017-100(4) ब0 मै0, दिनांक 21.11.2017 के प्राविधानानुसार बजट मैनुअल के प्रस्तर-94 के तहत सक्षम स्तर का अनुमोदन अपने स्तर से प्राप्त किया जायेगा।

(23) वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 10 मार्च, 2025 के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

(24) प्रश्नगत स्वीकृति मानक के संबंध में निदेशक, संग्रहालय निदेशालय/कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशक, संग्रहालय निदेशालय/ कार्यदायी संस्था का होगा।

(25) परियोजना हेतु स्वीकृत लागत के सापेक्ष अवशेष धनराशि परियोजना निर्माण के उपरान्त गुणवत्ता से संतुष्ट होने के उपरान्त ही नियमानुसार निर्गत की जायेगी।

(26) कार्यदायी संस्था से कार्य पूर्ण होने के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायें।

(27) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय- समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(28) परियोजना निर्माण की गुणवत्ता का पूर्ण उत्तरदायित्व उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय/ कार्यदायी संस्था का होगा। गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय, लखनऊ द्वारा समय-समय पर भौतिक निरीक्षण करते हुए अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

(29) उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय द्वारा उक्त धनराशि कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था सी0 एण्ड डी0 एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को यथाशीघ्र उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा गुणवत्ता प्रमाण पत्र संस्कृति विभाग, उ0 प्र0 शासन तथा उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

(30) उपरोक्तानुसार परियोजना हेतु मदवार मूल्यांकित / स्वीकृत लागत का विवरण संलग्न है।

5. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये **15,65,68,000.00 (रूपये पन्द्रह करोड़ पैंसठ लाख अड़सठ हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 092 **लेखा शीर्षक** 4202048002200 गोरखा रेजिमेन्ट सेन्टर, गोरखपुर शहीद स्मारक एवं संग्रहालय का निर्माण **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

6. यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-7- 416 -X-2024-25-दिनांक 27-03-2025 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, गोरखपुर।
4- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
5- महाप्रबंधक, सी0 एंड डी0 एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार,जवाहर भवन, लखनऊ/ मुख्य कोषाधिकारी, गोरखपुर।
7- आहरण एवं वितरण अधिकारी- संग्रहालयाध्यक्ष, लोक कला संग्रहालय, लखनऊ।
8- परियोजना प्रबंधक, सी0 एंड डी0 एस0, उ0प्र0 जल निगम, निर्माण इकाई- 42, गोरखपुर।
9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

संख्या- 141 /2025 / 593 /चार-2025-1883852 दिनांक 27 मार्च 2025 का संलग्नक

(Rs. In Lacs)

Sl. No.	Item Of Work	Unit	Approved Cost (EFC Date 20-01-2025)	Proposed Cost		PFAD Cost		Inc/Dec	DEDU-CTION
				Qty	Amount	Qty	Amount		
1	Construction of Museum	Sqm.	477.77	2265.00	482.20	2265.00	477.77	0.00	-4.43
2	TOILET BLOCK & TICKET BLOCK	Sqm.	30.42	110.00	30.65	110.00	30.42	0.00	-0.23
3	Interior Work	Job.	241.43	1	458.79	1	437.87	196.44	-20.92
4	Dismantling and demolshion	Job.	5.09	1	5.09	1	5.09	0.00	0.00
5	Renovation Of Existing Building Block	Sqm.	6.29	380.00	6.29	380.00	6.29	0.00	0.00
6	Site Development and water body	Job.	571.16	1	590.45	1	571.16	0.00	-19.29
7	Boundary wall	Rm.	118.47	280.00	118.47	280.00	118.47	0.00	0.00
8	Mural Painting On Boundary wall	Rm.	0.00	280.00	69.04	On S.No27	0.00	0.00	-69.04
9	Landscape/ Harticulture works	Job.	38.93	1	38.93	1	38.93	0.00	0.00
10	Water Body E & M	Job.	56.46	1	59.43	1	56.46	0.00	-2.97
11	Plumbing Work	Job.	76.98	1	79.67	1	76.98	0.00	-2.69
12	Fire Fighting	Job.	30.53	1	30.66	1	30.53	0.00	-0.13
13	Electrical Work	Job.	467.73	1	485.54	1	467.73	0.00	-17.81
14	Boring & Submersible Pump	No.	12.86	1	13.54	1	12.86	0.00	-0.68
15	HVAC	HP	67.83	100	71.40	100	67.83	0.00	-3.57
	New Work								
16	Light & Sound Show		0.00		521.32		495.25	495.25	-26.07
17	7D Theatre Work		0.00		524.63		498.40	498.40	-26.23
18	ADD 1% FOR CONTENGENCES		22.02		71.72		50.00	27.98	-21.72
	Total		**2223.97**		**3657.82**		**3442.04**	**1218.07**	**-215.78**
19	Less@ 5 %		-111.20		-182.89		-172.10	-60.90	10.79
	Total		**2112.77**		**3474.93**		**3269.94**	**1157.17**	**-204.99**
20	Labour cess @ 1 %		21.13		34.75		32.70	11.57	-2.05
21	GST @ 18%		380.30		625.49		588.59	208.29	-36.90
22	Centage @ 8%		211.28		277.99		261.59	50.31	-16.40
23	External Power Connection		20.00		25.00		20.00	0.00	-5.00
24	Third Party Inspection @ 0.5%		10.56		34.75		16.35	5.79	-18.40
25	DG set	KVA	22.04	250	25.00	250.00	22.04	0.00	-2.96
26	Video Documentory		84.60		120.00		108.00	23.40	-12.00
27	Mural Painting On Boundary wall	Rm.	62.14	280.00	0.00		62.14	0.00	62.14
28	Lift 8 passenger	No.	13.15	1.00	13.15		13.15	0.00	0.00
29	Furniture		35.52		35.52		35.52	0.00	0.00
30	GST @ 18% On S.No. 25 to 29		21.85		41.12		43.35	21.50	2.24
	Total Project Cost		**2995.33**		**4707.69**		**4473.37**	**1478.03**	**-234.33**

https

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।